झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0–1938, दिनांक–20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक में यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध में।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक, 2023

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) की उपधारा (ii) के पश्चात् निम्नवत उपधारा जोड़ा जाता है:—

(iii) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0—1938, दिनांक—20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक में यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 एवं अनुषंगी संकल्पों के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में अनुसूचित जनजाति हेतु 26%, अनुसूचित जाति हेतु 10%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) हेतु 8%, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) हेतु 6% एवं आर्थिक रुप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10% उदग्र (vertical) आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

2. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 एवं अनुषंगी संकल्पों के द्वारा राज्य सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में दिव्यांगजन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित तथा महिलाओं के लिए 5% क्षैतिज (horizontal) आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0–1938, दिनांक–20.04.2021 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका (vi) के अनुसार *"राज्य सरकार द्वारा अन्य आंदोलनकारियों के मामले में एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार देय होगा।*

तदनुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण देने के लिए झारखण्ड राज्य के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान से संबंधित ***"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित)" की धारा 4(2)(क) को इस हद तक संशोधित करने की कार्रवाई संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी।"***

उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

4. तद्नुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 संशोधन विधेयक, 2023 गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0–1938, दिनांक–20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक में यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है।

5. उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हेमन्त सोरेन)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 10--220--17-12-2023